राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(2)कार्मिक/क–2/2006 पार्ट ॥   जयपुर, दिनांक : 10 MAY 2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

विषयः–परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए मंत्रालयिक सवंर्ग के (जनरल विंग) सभी पदों हेतु 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त (सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र अन्य कारण) होंने एवं अनुभव में एक तिहाई अवधिं में शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की स्थिति में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1/3 अवधि (अर्थात एक वर्ष) की शिथिलता प्रदान की गई है।

उक्त परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के कम में विभिन्न माध्यमों से इस विभाग में पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र अनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 01 वर्ष की छूट देय होने के संबंध में उचित आदेश/निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है ।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नियमों में शिथिलन 1/3 की सीमा तक ही देय है। अनुभव एक तिहाई शिथिलन के उपरान्त शिथिलन की गई अवधि यदि पूर्ण वर्ष से कम है, तो उन प्रकरणों में कोई शिथिलन अनुज्ञेय नहीं होगा। ऐसे पद जिनमें वांछित अनुभव 02 वर्ष का है, में 01 वर्ष की छूट 50 प्रतिशत अर्थात एक तिहाई से अधिक होने के कारण नियमानुसार देय नहीं है।

अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022–2023 के लिए अपने विभाग के मंत्रालयिक सवंर्ग (जनरल विंग) के पदों पर वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के कम में उपरोक्त स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक मापदण्ड की पूर्ति होने पर शिथिलन के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया संपादित/पूर्ण करावें ।

भवदीय,

10/5/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(2)कार्मिक/क–2/2006 पार्ट II   जयपुर, दिनांक : 18 JAN 2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित है। राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद अनेक वर्षों से स्वीकृत थे किंतु विभिन्न कारणोंवश इन पदों पर नियमित पदोन्नतियॉ प्रदान करना संभव नहीं हो सका था। वित्त विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक कैडर का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न पदों की संशोधित स्वीकृति जारी की गई थी ।

संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल करने के प्रयोजन से कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में आवश्यक संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 06.05.2015 को जारी की जाकर परिपत्र दिनांक 08.05.2015 के द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में पूर्ण शिथिलता (एक बारीय) प्रदान करते हुए लिपिक ग्रेड–I, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सहायक कार्यालय अधीक्षक) तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के पद पर पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने की दशा में अनुभव में 1/3 अवधि की (अर्थात एक वर्ष की) शिथिलता प्रदान की गई थी। किन्तु उक्त शिथिलन के पश्चात भी अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त रहे हैं, अतः पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने हेतु पुनः परीक्षण किया गया।

वर्तमान में सेवा नियमों के प्रावधानों एवं परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के आधार पर जिस पद पर पदोन्नति होनी है उस पद पर 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होने एवं निम्न पद पर एक तिहाई अवधि का शिथिलन दिये जाने के उपरान्त एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहने की स्थिति में एक वर्ष का शिथिलन कार्मिक विभाग की सहमति से प्रदान किया जा रहा है। वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु पत्रावलियां इस विभाग में प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

5/2022

मंत्रालयिक संवर्ग में विभिन्न विभागों में रिक्तियों की उपलब्धता, कार्यात्मक आवश्यकता एवं पदों के सौपान के दृष्टिगत इस संबंध में लिये गये निर्णय के कम में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए मंत्रालयिक सवंर्ग के (जनरल विंग) सभी पदों हेतु 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त (सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र अन्य कारण) हों एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि में शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहते हों, उनमें पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1/3 अवधि (अर्थात एक वर्ष) की शिथिलता प्रदान की जाती है।

अतः सभी विभागों से यह अपेक्षित है कि वे वर्ष 2022–2023 के लिए अपने विभाग के मंत्रालयिक सवंर्ग (जनरल विंग) के रिक्त पदों पर अनुभव में शिथिलन हेतु उपर्युक्तानुसार आवश्यंक मापदण्ड की पूर्ति होने पर शिथिलन के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया संपादित/पूर्ण करावें ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।

18/1/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल,राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,राजस्थान ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

5/2022